सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 142/2011 वाद

1– चुन्नीलाल पिता बाबरू ब्राह्मण, आयु 68 साल, निवासी मोठा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2– गंगाराम पिता बाबरू मृतक के बजाय–
2/1– चेतन पिता गंगाराम ब्राह्मण, उम्र 21 साल, निवासी मोठा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2/2– मु. अवन्ति बाई बेवा गंगाराम ब्राह्मण, आयु बालिग, निवासी मोठा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादीगण

//बनाम//

1– केसुराम पिता बाबरू ब्राह्मण, उम्र 70 साल, निवासी मोठा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2– राज्य जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा0का0अधि0
श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, उपस्थित

निर्णय दिनांक–28.11.2017

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि वाके मौजा मोठा की खाता संख्या 33 की आराजी नं. 560/1 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नं. 561/112 रकबा 4 बिस्वा तथा आराजी नं. 562/113 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। इस भूमि में वादीगण का 2/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त परिवार में रहते हुए संयुक्त परिवार की आमदनी से संयुक्त रूप से लागत लगा कर खरीदी गई किन्तु तीनों भाईयों में आपसी प्रेम स्नेह होने से व परिवार में बड़ा भाई प्रतिवादी संख्या 1 होने से उपरोक्त आराजीयात की रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से कराई गई, किन्तु मौके पर उपरोक्त क्रयशुदा आराजीयात पर तीनों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भाईयों का समान रूप से 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित होकर उसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात में वर्तमान में आपसी सहमति से विभाजन के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर उक्त आराजीयात में से आराजी नं. 560/1 में रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नं. 561/112 रकबा 3 बिस्वा तथा आराजी नं. 562/113 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज हुई। उक्त भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3, वादी संख्या 2 का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर शांतिपूर्ण ढंग से सन् 1970 से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी ने अपने अपने हक हिस्से पर मेड पालियां डाल रखी हें तथा अपनी मेहनत की कमाई लगाई और अपने अपने हिस्से को काबिज काश्त कर विकसित किया है और इसी अनुसार बंटवारा कराने और अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने से तथा वर्तमान में जमीनों की किमतें बढ़ जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदयांति उत्पन्न हो गई है तथा वो वादीगण का उक्त आराजीयात में हक हिस्सा मानने से इन्कार कर रहा है जबकि मौके पर वादीगण अपने अपने 1/3, 1/3 हक हिस्से पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के हक हिस्से की भूमि को भी खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करने पर आमदा हैं। समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहा है इसलिए मजबुरन वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जावे, मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण ने मिथ्या साक्ष्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जो बिल्कुल गलत होकर अस्वीकार है। खाता संख्या 33 में अंकित आराजीयात का बंटवारा हो चुका है। उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा निहित होकर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है और मौके पर काबिज काश्त है। यह सम्पत्ति स्वअर्जित होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने यह जगन्नाथ पिता नाथु ब्राह्मण निवासी मोठा से खरीदी है। वादीगण ने बदयांतिपूर्वक प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की गरज से यह दावा प्रस्तुत किया है जो असत्य होकर खारीज योग्य है। वादीगण का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा होना तथा मौके पर कब्जा होना अस्वीकार किया है। वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए वादीगण का दावा खारीज किया जावे तथा स्पेशल कास्ट के 25,000/– रूपये वादीगण से प्रतिवादी को दिलाये जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई–

1– तनकी नं. 1:– क्या वाद पत्र की कलम नं. 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त परिवार की आय से संयुक्त रूप से खरीदी और संयुक्त रूप से 1/3, 1/3 हक हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं।

– जिम्मे वादीगण

2– तनकी नं. 2:– क्या अराजीयात मुतदाविया पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वर्षों से अलग बंटवारा कर काबिज हो पालिया पड़ी हुई है।

– जिम्मे वादीगण

3– तनकी नं. 3:– क्या आराजी मुतदाविया वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की घोषित करा 1/3, 1/3 हक हिस्से में बंटवारा कराने के अधिकारी हैं।

– जिम्मे वादीगण

4– तनकी नं. 4:– क्या वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

– जिम्मे वादीगण

5– दादरसी।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने नकल जमाबन्दी संवत 2059–62 ग्राम मोठा की खाता संख्या 4 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत 2059–62 ग्राम मौठा की खाता संख्या 139 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत 2027– 30 ग्राम मोठा की खाता संख्या 12 प्रदर्श–3, खसरा गिरदावरी ग्राम मौठा संवत 2031–34 प्रदर्श–4, खसरा गिरदावरी ग्राम मौठा की संवत 2027–30 प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी ग्राम मौठा संवत 2031–34 प्रदर्श–6, बेनामा दिनांक 03.02.1970 प्रदर्श–7 प्रस्तुत किये हैं तथा इसके अतिरिक्त नकल जमाबन्दी संवत 2059–62 ग्राम मौठा की खाता संख्या 33, लगान पासबुक की छायाप्रति, आपसी ईकरार नामा दिनांक 19.06.2009 की छायाप्रति एवं मौके पर कब्जे की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये हैं। मौखिक साक्ष्य में चुन्नीलाल पिता बाबरू ब्राह्मण निवासी मोठा, गंगाराम पिता बाबरू ब्राह्मण निवासी मोठा, नोला पिता हरा भील निवासी मोठा, रामनारायण पिता नवलराम ब्राह्मण निवासी अरनिया जोशी, अर्जुनलाल पिता ताराचन्द ब्राह्मण निवासी मोठा, भगवाना पिता वेणा भील निवासी मोठा, जयन्तीलाल पिता बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मोठा, बंशीलाल पिता मोहनलाल ब्राह्मण निवासी बामनीया के शपथपत्र प्रस्तुत किये तथा जयन्तीलाल, चुन्नीलाल, नोला, भगवानलाल के बयान कराये हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साक्ष्य व गवाही के उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

1– **तनकी नं. 1**:– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इसे साबित करने के लिए प्रदर्श–1 से 7 व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है। प्रदर्श–1 पुश्तैनी सम्पत्ति की जमाबन्दी है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से पुश्तैनी आराजीयात का बंटवारा दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–2 भी पुश्तैनी आराजीयात की जमाबन्दी है। प्रदर्श–1 में इन्तकाल संख्या 421 दिनांक 13.07.2007 से आपसी सहमति से बंटवारा दर्ज है। वर्ष 1970 से 2007 तक तीनों भाई संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे थे। प्रदर्श–3 भी नकल जमाबन्दी है जिसमें विवादित भूमि का 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 1/3 हिस्सा जगन्नाथ पिता चतरभुज के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–4 व 5 खसरा गिरदावरी है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदार के तौर पर दर्ज है तथा हरिराम पिता देवा भील को काश्त करना अंकित है। प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी में भी कॉलम संख्या 21 में विवादित भूमि पर वादी संख्या 1 चुन्नीलाल की काश्त अंकित है। प्रदर्श–7 विक्रय पत्र की प्रति है जिसके माध्यम से विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खरीदी गई। दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई हैं जो वर्ष 2007 तक संयुक्त रूप से पुश्तैनी सम्पत्ति पर भी काबिज रहे हैं। प्रस्तुत इकरारनामा के गवाह जयन्तीलाल व बन्शीलाल ने भी न्यायालय में उपस्थित हो 2 बीघा भूमि केसुराम द्वारा गंगाराम को देना स्वीकार करते हुए इकरारनामें को सही बताया है। प्रदर्श–4 व 5 में विवादित भूमि पर जिस काश्तकार का कब्जा बताया गया है उसके पुत्र नोला पिता हरा भील ने भी उपस्थित होकर बयान दिये हैं तथा विवादित भूमि पर तीनों भाईयों की बराबर हक हिस्से पर काश्त बताई है। पडोसी खातेदार भी अपने बयान में वादीगण के कथनों की ताईद करते हैं। इस प्रकार विवादित भूमि पर मौके पर वादीगण का कब्जा निर्विवाद रूप से प्रकट होता है। पुश्तैनी सम्पत्ति का बंटवारा भी तीनों भाईयों द्वारा 2007 में कराया गया है जिससे यह भी प्रकट होता है कि वर्ष 2007 से पूर्व तीनों भाईयों का परिवार संयुक्त रहा होगा। ऐसी स्थिति में वर्ष 1970 में संयुक्त परिवार की आय से प्रश्नगत आराजी खरीदना स्थापित होता है, क्योंकि विवादित भूमि पर वादीगण के कब्जे का अन्य कोई आधार नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वादीगण तनकी नं. 1 साबित करने में सफल रहे हैं इसलिए तनकी नं. 1 का निर्णय बहक वादीगण तय किया जाता है।

2– **तनकी नं. 2**:– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर ही है। तनकी नं. 1 के विवेचन में स्पष्ट रूप से साबित हो चुका है कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवादित भूमि पर वादीगण का भी 1/3, 1/3 हक हिस्से पर कब्जा है। मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत सभी गवाहों ने भी इसी बात की ताईद की है कि तीनों भाई अपने अपने हिस्से पर अलग अलग काबिज काश्त हैं तथा मेड–पालियां पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में आपसी सहमति से बंटवारा होना स्वीकार्य है। अतः तनकी नं. 2 का निर्णय भी बहक वादीगण निर्णित किया जाता है।

3– तनकी नं. 3:– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर ही है। वादीगण विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में भी सफल रहे हैं तथा विवादित भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति साबित करने में भी सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण अपने हिस्से व कब्जे अनुसार 1/3, 1/3 हक हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। अतः तनकी नं. 3 का निर्णय भी वादीगण के हक में निर्णित किया जाता है।

4– तनकी नं. 4:– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर ही है। वादीगण वाद में अपने स्वत्व अधिकारों को स्पष्ट रूप से साबित कर चुके हैं। मौके पर आरम्भ से ही काबिज हैं तथा अपने अपने हिस्से को लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया है, विकसित किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण अपने अपने 1/3, 1/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा सहित सभी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हैं। इसलिए तनकी नं. 4 का निर्णय भी बहक वादीगण तय किया जाता है।

निष्कर्ष–

उपर्युक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट साबित है कि विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई सम्पत्ति है जिसमें तीनों भाईयों का बराबर बराबर हक हिस्सा होकर इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त भी है। प्रतिवादीगण की ओर से ना तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और ना ही किसी प्रकार की कोई मौखिक साक्ष्य ही अपने पक्ष को साबित करने के लिए प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता वादी का कथन है कि जिरह से बचने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं के बयान भी न्यायालय में दर्ज नहीं कराये हैं। वादीगण अपने पक्ष को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा मौठा की आराजी नं. 560/1 में रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नं. 561/112 रकबा 3 बिस्वा तथा आराजी नं. 562/113 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 गंगाराम के वारिसान का 1/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त

का घोषित किया जाता है। इसी अनुसार एवं मौके पर काबिज दिशा अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करें ना करावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 28.11.2017 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा